हारा चलवाये जा रहे हैं। इस प्रकार बुनकरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है और वे अपनी रोजी-रोटी चलाने में भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।

अतः मैं माननीय उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार हथकरघों तथा पावरलूम इकाइयों में ज्याप्त घोर अनियमितताओं एवं शोषण की प्रक्रिया की अविलम्ब जांच कराई जाय तथा कमियों को दूर करके इकाईयों को वांछित तरीके से चलाने के लिए उपयुक्त वाता- वरण बनाया जाय, ताकि इनमें लगे हुए बुनकरों का घोषण समाप्त हो तथा वे अपनी रोजी-रोटी अच्छी प्रकार से चला सकें। हथकरघा इकाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा बने हुए माल की समुचित विक्रय की व्यवस्था कराना, इन इकाइयों को स्वस्थ बनाने के लिए अत्याव- एयक है, वयोंकि इनके साथ लाखों बुनकरों की रोजी-रोटी का प्रश्न सम्बद्ध है।

(vii) Reported investments by banks of J and K State in other States and need to Scrutinise their operational strategy in Jammu and Kashmir.

PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla): There is urgent need to organise industrial activity in Jammu & Kashmir as this area remained by and large neglected. The State's share in the national investment in the public sector industries has reamined as low as 0.06%. Under these circumstances, investments are equired to be mobilised for industrial venture by promising entreprenurs.

The Banking Sector in J & K has not come forward to help the State's march towards industrial dovelopment. The Banks have, as a rule, effected investments outside the J & K State and helped the investment-boom elsewhere.

My contention is that the nationlised Banks in the State have invested 92% of their deposits outside the J & K State.

I request the Finance Minister to look into the matter.

The Reserve Bank of India should be asked to investigate into the matter. In fact,

the entire operational strategy of Banks in the State of J & K requires scrutiny.

(viii) Need to provide the lepers with medical facility accommodation, jobs, etc.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपूर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बरयन्त ही लोक महत्व के विषय की और आकृष्ट करना चाहता हं। दिल्ली के विभिन्न भूगी भोपड़ी में सैंकड़ों की संस्था में कुष्ठरोगी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारतीय भिक्षावृति निरोध कानन के अन्तर्गत भिक्षाटन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। भिक्षाटन जो पेट पालने का घंघा था वह भी समाप्त हो गया है और सरकार के द्वारा भी उनके रहने, खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फलस्वरूप कई कुछ रोगियों की भूख से मृत्यू भी हो गई है। ये कूष्ठ रोगी दिल्ली के रामनगर, तिलक नगर और पश्चिम दिल्ली के अन्य भागों में दयनीय स्थिति में हैं। इनके इलाज की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जबिक कुष्ठ रोग एक बिल्कुल ही क्योरे-बल रोग है। देश में लाखों की संख्या में कूष्ठ रोगी हैं।

केन्द्र सरकार ने तो लेप्रासी एक्ट निरस्त कर दिया है लेकिन राज्य सरकारों ने तो उसे समाप्त नहीं किया है। लेप्रासी एक्ट फेडरल ला है। सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम में भी कुष्ठ रोग को जैसे समाप्त करने का प्रावधान किया है वह सिर्फ कागज में है। 20 फरवरी, 1984 को इंटरनेशनल लेप्रासी कान्फ्रोंस दिल्ली में हुई थी जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया था। उसके बावजूद भी उनकी स्थिति ज्यों की ज्यों है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार मान-वीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कुष्ठ रोगियों के इलाज, खाने एवं रहने की व्यवस्था करे तथा जिन राज्यों में यह एक्ट अभी तक समाप्त नहीं किया गया है, उन राज्यों को भी उसे समाप्त करने के लिए कहा जाए।